न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार असीजा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 261/2017

आरसीएमएस नं. 2017/00068

1. किरणजीत कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद फतेहगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. कुभव सिद्धू पुत्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना जरिये कुदरती वली माता किरणजीत कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद फतेहगढ तहसील व जिला हनुमागनढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गुरमीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी हरप्रीत सिह जाति जटसिख निवासी दानेवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब

   हरजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकर चक तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब
3. सुखजीत कौर पुत्री सुखदेव सिह पत्नी संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब।
4. सिमरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक संगरिया जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया, दिनांक 28.06.2017,

प्र. सं. 41/2015 अनवान किरजीत कौर बनाम गुरमीतकौर वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितिः–

श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 4

निर्णय दिनांक 27.9.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित सुखचरणसिंह पुत्र सुखदेवसिह के नाम दर्ज कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने तथा उसे आगे रहन बैय एवं अन्तरित न करने एवं वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप से निषेध रहने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायलय ने दिनांक 04.05.2015 को एक प्रश्नगत आराजी चक 11 एसबीएन के खाता सं0 15/12 खाता ख्यालीराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में दर्ज सुखचरण सिंह पुत्र सुखदेव सिह के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया। पत्रावली अप्रार्थी सं0 5 की तलबी एवं प्रार्थना–पत्र के जवाब में चलती रही एवं दिनांक 11.07.2017 को धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। दिनांक 28.06.2017 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 11.08.2017 मुकर्ररर की गई थी तथा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये पुनः पेशी में ली जाकर दिनांक 28.06.2017 को अपीलाण्ट को तारीख पेशी दी जाने के बाद विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आ चुके थे। इसके बाद कई अवसर दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 5 जो एक फार्मल पक्षकार है की तलबी हेतु तथा रेस्पो0 सं0 1 ता 4 के जवाब हेतु मुकर्रर थी परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उसकी तलबी के अभाव में अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जो विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने 2016–17 सुप. पेज 566 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तलबी नहीं करवाने के कारण अपील खारिज की गई है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के अन्तर्गत है, जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट को आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के विरूद्ध आरेश 9 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत ही कार्यवाही अपेक्षित थी। अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने एआईआर 2003 पेज 98, आरएलआर 2003 (2) पेज 113, आरआरटभ 2022 (22) पेज 946 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायलाय ने दिनांक 04.05.2015 को प्रश्नगत आराजी चक 11 एसबीएन के खाता सं0 15/12 खाता ख्यालीराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में दर्ज सुखचरण सिंह पुत्र सुखदेव सिह के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया। पत्रावली अप्रार्थी सं0 5 की तलबी एवं प्रार्थना–पत्र के जवाब में चलती रही एवं दिनांक 11.07.2017 को धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। अपीलाण्ट का कथन है कि दिनांक 28.06.2017 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 11.08.2017 मुकर्ररर की गई थी तथा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये पुनः पेशी में ली जाकर दिनांक 28.06.2017 को अपीलाण्ट को तारीख पेशी दी जाने के बाद विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। अपीलाण्ट के उक्त आक्षेपों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से होती है, जिसके अनुसार दिनांक 28.06.2017 को कैम्प नगराना में पत्रावली पेशी में लेकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.08.2017 नियत की गई थी। फिर पुनश्चः लिखते हुए पत्रावली तलबी के अभाव में खारिज कर दी गई है। इस न्यायालय का मत है कि कैम्प में केवल राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। जहां तक

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेण्ट सं0 5 का प्रश्न है वह एक फोर्मल पक्षकार है, उसकी तलबी की आवश्यकता नहीं है क्यों कि पत्रावली के निर्णय से रेस्पोडेण्ट सं0 5 के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016–17 पेज 566 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायलाय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है, अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का निर्णय दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर 2माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील आधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(अशोक कुमार असीजा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner